सं० 11030/3/98-अ०भा०से० (ii)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 1998

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग ।

विषय:-भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 - केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर अपने दिनांक 13 मई, 1998 के समसंख्यक पत्र का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा केन्द्र में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष रैंक में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपने-अपने संवर्गों में अधिसमय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत हो जाने पर अपने इसी पद पर कार्य करते हुए अधिसमय वेतनमान का अधिकतम अर्थात् 22,400/-रूपये प्रतिमाह आहरित करने की अनुमति दी गई है । यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि यदि ऐसे अधिकारियों की अपने-अपने संवर्गों में अधिसमय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति न हुई होती तथा वे अधिसमय वेतनमान में कोई गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे होते तो उन मामलों में गतिरोध वेतनवृद्धि 22,400/-रूपये के वेतन के अतिरिक्त भी स्वीकार्य होगी ।

2. ऐसे प्रकरण ध्यान में आए हैं जहाँ यह पाया गया है कि यदि केन्द्र में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर कार्य करते हुए अधिकारी को संशोधित वेतनमान में गतिरोध वेतनवृद्धि का लाभ 22,400/-रूपये के वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है तो इस पद का कुल वेतन अनुमत्य (और) गतिरोध वेतनवृद्धि मिला कर, उस वेतन राशि से अधिक हो जाएगा जो वे अपने-अपने संवर्गों में 22,400-24,500/-रूपये के अधिसमय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वास्तविक रूप से आहरित कर रहे होते । दिनांक-13 मई, 1998 का अपना समसंख्यक पत्र जारी करते समय हमारा अभिप्राय यह नहीं था कि इससे उन्हें ऐसा लाभ मिलेगा । अत: यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में अधिसमय वेतनमान में 22,400/-रूपये का वेतन प्रदान किए जाने का लाभ जमा गतिरोध वेतनवृद्धि की राशि, उस वेतन राशि से अधिक नहीं होगी जो केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर आने से पूर्व अपने-अपने

....2/-

संवर्गों में अधिसमय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वस्तुतः आहरित कर रहे थे। ऐसा करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केन्द्र में उनका वेतन इस ढंग से निर्धारित किया जाए कि 22,400/-रूपये और इस प्रकार अनुमत्य गतिरोध वेतनवृद्धि, की कुल धनराशि 18400-500-22,400/-रूपये के वेतनमान की सीमा के भीतर ही रहे। उदाहरणार्थ - यदि कोई अधिकारी 22,400-525-24,500/-रूपये के अधिसमय वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में 22,925/-वेतन आहरित कर रहा है तो उसे केन्द्र में संयुक्त सचिव या समकक्ष पद पर प्रारंभिक नियुक्ति के समय 22,900/-रूपये (13-05-98 के पत्र द्वारा अनुमत्य 22,400/-रूपये वेतन जमा 500/-रूपये की एक गतिरोध-वेतनवृद्धि) आहरित करने की अनुमति होगी।

3. अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु सभी संबंधितो के ध्यान में लाई जाए।

भवदीय,

(वाई०पी० ढींगरा)
डेस्क अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

1. गृह मंत्रालय (यू०टी०एस० अनुभाग) 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. गृह मंत्रालय (आई०पी०एस०-II) 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (आई०एफ०एस०-II) 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. अतिरिक्त प्रतियाँ - 150

(वाई०पी० ढींगरा)
डेस्क अधिकारी